यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी** के माह अक्टूबर 2019 से सितम्बर 2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री दीपक मालवीय, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, श्री लक्ष्मण सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री शरद चौधरी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 29/10/2020 से 07/11/2019 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के अंशकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा माह 10/2018 से माह 09/2019 तक की लेखापरीक्षा श्री सुनील कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री प्रवीर घोष, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री पंकज कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा श्री एस के त्यागी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण कालिक पर्यवेक्षण में दिनांक 30/10/2019 से 08/11/2019 तक की गयी थी।

(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार:**

अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशीके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संपादित होने वाले विभिन्न निर्माण कार्यो (राज्य योजना/ जिला योजना/ निक्षेप मद में स्वीकृत मार्ग/सेतु/भवन का निर्माण तथा सुधार)के लिए आवश्यक सर्वेक्षण के उपरांत अधीनस्थ अवर अभियंताओ एवं सहायक अभियन्ताओं के माध्यम से आगणन गठित कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक वित्तीय तथा तकनीकी स्वीकृति जारी करने/कराने के लिए उत्तरदायी हैं। समस्त कार्यो के सभी स्तरों पर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। जिलाधिकारी के अधीन कार्यों की प्रगति अनुश्रवण तथा प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायी है। कार्यों के लिए निर्धारित स्तर से निविदा आमंत्रण कार्य प्रगति, अनुश्रवण तथा मानको से संतुष्ट होने पर भुगतान की कार्यवाही किए जाने हेतु उत्तरदायी हैं।

(ii) बजट

(अ) लेखा परीक्षा अवधि में योजनावार बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**मुख्य लेखा शीर्ष**	**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य**	**बचत**	**टिप्पणी**
	स्थापना	**गैरस्थापना**		**आबंटन**	**व्यय**	**आबंटन**	**व्यय**	**--**		
2018-19	-	-		866.68	866.68	1560.26	1450.14	--	110.12	
2019-20	-	-		23.17	839.82	1500.52	1413.00		87.52	
2020-21 (09/2020 तक)	-	-		30.89	381.85	718.72	395.55	--	In Progress	

टिप्पणी:(i) वर्षांत में अवशेष धनराशि शासन को समर्पित कर दी जाती है।

(ii) खंड द्वारा बताया गया कि वर्ष 2019-20 से IFMS लागू होने के उपरांत वेतन आदि मदों का भुगतान IFMS Global Budget द्वारा किया जा रहा है। इस कारण वेतन मद का बजट आवंटन नहीं दर्शाया जा रहा है ।

(i) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **"ब"** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, लोक निर्माण विभाग

↓

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग

↓

मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग

↓

अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग

↓

अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग

(ii) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। लेखा परीक्षा द्वारा व्यय विवरण के आधार पर सर्वाधिक व्यय वाले माह मार्च 2020 को विस्तृत जांच एवं निर्माण कार्य "**विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत जुणगा से कुमारकोट मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण का कार्य (द्वितीय चरण)" को विस्तृत** विश्लेषण हेतु चयनित किया गया।

(iii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13** लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2017 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में (10/2019 से 09/2020 तक) निरीक्षण नहीं किया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः 09/2019 एवं 09/2018 तक की गई।

5. फार्म 51: माह 03/2019 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम	` (-)5525720.00
भाग द्वितीय	` 89895.00

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 09/2020 के मासिक लेखा के अनुसार

(क)	प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम	` 5899669.00
(ख)	सामग्री क्रय	शून्य
(ग)	नगद परिशोधन	शून्य
(घ)	निक्षेप	` 91321821.00
(ङ)	भण्डार	` 3626872.00

भाग II -'अ'

प्रस्तर 01: ठेकेदारों के देयकों से रॉयल्टी की धनराशि ` 30.24 लाख की कम कटौती किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन, औद्यौगिक विकास अनुभाग-2 के पत्रांक संख्या 162/VII-II-13/24-ख/2007 दिनांक 18.01.2013 तथा उत्तराखण्ड शासन, औद्यौगिक विकास अनुभाग-1 के पत्रांक संख्या 842/VII-1/2016/24-ख/2007 दिनांक 19.05.2016 के अनुसार निर्माण कार्यों मेंनदी तल अथवा भिन्न स्थानों से ली जाने वाली निर्माण सामग्री की स्वामित्व (रायल्टी) की कटौती करके नियमानुसारसंम्बन्धित लेखा शीर्ष में जमा कराई जानी चाहिए।लोक निर्माण विभाग में प्रचलित प्रथा के अनुसार ठेकेदारों द्वारा बिलों के साथ निर्माण कार्यों में प्रयुक्त उपखनिजों की मात्रा के सापेक्ष प्रपत्र "J" उपलब्ध करवाए जाते है जिनके आधार पर रॉयल्टी की छूट प्रदान की जाती है। उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांकित 26 फरवरी 2016 एवं 19 मई 2016 के अनुसार रॉयल्टी की दरों में संशोधन किया गया था जिसके फलस्वरूप वर्तमान में रॉयल्टी की दरें निम्नवत हैं: -

नदी तल से भिन्न स्थानों से प्राप्त होने वाले खंडास/बोल्डर्स (जिसकी कोई भी साइड 25 सेमी से अधिक न हो), बजरी, गिट्टी, बैलास्ट सिंगल, पहाड़ों के क्षरण से उत्पन्न मोरम/बालू	`194.50 प्रति घनमीटर
विहित प्रयोजनों हेतु के लिए प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो।	`154 प्रति घनमीटर (हरिद्वार एवं अन्य स्थान)

कार्यालय अधिशासी अभियंता,प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,उत्तरकाशी के बिल/वाऊचरों व अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा ठेकेदारों के बिलों से निर्माण कार्यों में प्रयुक्त उपखनिजों के सापेक्ष रॉयल्टी की कटौतियाँ ` 110.11 प्रति घनमीटर की दर से की जा रही थी जबकि ठेकदारों द्वारा प्रयुक्त उपखनिजों के स्रोत के संबंध में कोई साक्ष्य/जानकारी उपलब्ध नहीं करवायी गयी थी। ऐसे में प्रयुक्त उपखनिजों के सापेक्ष ` 194.50 प्रति घनमीटर की दर वसूली अपेक्षित थी। खंड द्वारा अक्टूबर 2019 से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान ठेकेदारों के बिलों से निर्माण कार्यों में प्रयुक्त उपखनिजों के सापेक्ष ` 110.11 प्रति घनमीटर की

दर से ` 3945500/- रॉयल्टी की कटौती की गयी थी जिसके फलस्वरूप ` 3023892/- के राजस्व की हानि हुयी।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि शासनादेशों के अभाव में ` 110.11 प्रति घनमीटर की दर से रॉयल्टी की कटौती की गयी थी वर्तमान में अक्तूबर 2020 से ` 194.50 प्रति घनमीटर की दर से रॉयल्टी की कटौती की जा रही है। ठेकेदारों के देयकों से अवशेष ` 30.24 लाख की रॉयल्टी की वसूली के सम्बन्ध में बताया गया कि वसूली हेतु ठेकेदारों से पत्राचार किया जाएगा।

इकाई के उत्तर से स्वतः ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है। अतः ठेकेदारों के देयकों से रॉयल्टी की धनराशि ` 30.24 लाख कम की कटौती किए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II-'ब'

प्रस्तर 01: <u>निर्धारित तिथि से 03 वर्षो के उपरांत भी कार्य पूर्ण न होने के कारण अलाभकारी व्यय ` 314.73 लाख</u>

मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री मे जनपद मुख्यालय उत्तरकाशी के तिलोथ मे भागीरथी नदी पर अतिरिक्त 42 मीटर स्पान के दो लेन स्टील गर्डर सेतु का निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति मार्च 2015 मे ` 839.85 लाख की प्राप्त हुई थी। कार्य की आंशिक प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियंता स्तर से ` 562.00 लाख की फरवरी 2016 मे प्रदान की गयी थी। कार्य निष्पादन हेतु एक अनुबंध संख्या 01/एस ई-06/2016-17 दिनांक 27.04.16 को ` 579.76 लाख का गठित किया गया था जिसके अंतर्गत कार्य नवम्बर 2017 मे समाप्त किया जाना निर्धारित था।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी मे उपरोक्त कार्य के अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि एक मात्र निविदादाता को ही निविदा लागत ` 579.76 लाख लागत हेतु अनुबंध गठन हेतु चयनित किया गया था जिसकी दरें तकनीकी स्वीकृति दरो के आधार पर लागत ` 540.37 लाख ही आती थी एवं ठेकेदार द्वारा दी गयी दरे कार्य निष्पादन की लागत से 7.29 प्रतिशत अधिक थी, साथ ही अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि खंड द्वारा ठेकेदार को निगोसियशन हेतु पत्र प्रेषित करने पर ठेकेदार द्वारा निगोसियशन हेतु मना करने के उपरांत भी खंड द्वारा मात्र एक ही ठेकेदार की प्राप्त निविदा को इस आधार पर स्वीकृत कर लिया गया था कि सेतु की महत्ता एवं सुरक्षा हेतु कार्य तत्काल प्रकृति का है, के उपरांत कार्य निष्पादन के मध्य मे ठेकेदार द्वारा नए पुल की वैल के निर्माण के दौरान स्वीकृत दरों मे विवाद के कारण कार्य बंद कर दिये जाने के कारण खंड द्वारा तत्समय ही अनुबंध का अंतिमिकरण कर दिये जाने से कार्य संप्रेक्षा अवधि तक पूर्ण नहीं हो पाया था एवं उक्त कार्य हेतु ठेकेदार को ` 314.73 लाख का भुगतान भी किया जा चुका था जिससे उक्त व्यय राशि अलाभकारी रही थी।

उपरोक्त के संबंध मे इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उत्तर दिया गया कि ठेकेदार का अनुबंध टर्मिनेट करने के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सका है एवं अवशेष कार्य हेतु नया अनुबंध गठित करके ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। खंड का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योकि यदि खंड द्वारा पूर्व मे ही ठेकेदार द्वारा दी गयी बढ़ी दरों को स्वीकार किए जाने के उपरांत कार्य की महत्ता को देखते हुए निर्धारित अवधि मे कार्य समाप्त करवाने के प्रयास किए जाते तो

कार्य मद की दरो मे विवाद से बचा जा सकता था एवं खंड द्वारा नए गठित अनुबंध के कोई अभिलेख लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गए थे जो वर्तमान तक कार्य शीघ्र पूर्ण करने मे विभागीय उदासीनता को दर्शाता था जिसके कारण सेतु की महत्ता एवं सुरक्षा हेतु कार्य तत्काल प्रकृति का है, के समाप्ति की निर्धारित तिथि से 03 वर्षो के उपरांत भी पूर्ण नहीं हो पाया था एवं उक्त कार्य हेतु ठेकेदार को ` 314.73 लाख का भुगतान भी किया जा चुका था जिससे उक्त व्यय राशि अलाभकारी रही थी।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञानमे लाया जाता है।

भाग II -'ब'

प्रस्तर 02: उचित नियोजन के अभाव में निर्माण कार्यों पर धनराशि ` 27.04 लाख का निष्फल व्यय।

कार्यालय अधिशासी अभियंता,प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,उत्तरकाशी केअभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि निम्नलिखित निर्माण कार्य लम्बी अवधि से स्वीकृत थे तथा निर्माण कार्यों पर लेखापरीक्षा तिथि तक `27.04 लाख की धनराशि व्यय होने के उपरांत भी कार्यों को "अनारम्भ/कार्य निरस्त होना है" दर्शाया जा रहा था।

(धनराशि `लाख में)

क्र. स.	कार्य का नाम	स्वीकृत का वर्ष/आरम्भ करने की तिथि	स्वीकृत लागत	व्यय धनराशि	कार्य की स्थिति
1.	जिला सेक्टर के अंतर्गत पिपली धनारी ढुगालगांव मार्ग का प्रतिकर	09/2013	10.00	8.74	अनारम्भ कार्य, कार्य निरस्त होना है।
2.	धनारी मोटर मार्ग से भालसी स्कूल तक मोटर मार्ग का निर्माण एवं डामरीकरण	11/2007	14.00	2.10	कार्य निरस्त होना है।
3.	नालूपानी में ज्ञानदीप होटल के समीप 95 राष्ट्रीय राजमार्ग से गंगा तट तक संपर्क मार्ग	08/2009	17.00	2.21	कार्य निरस्त होना है।
4.	मा. मु. घोषणा के अंतर्गत ज्ञानसू-साल्ड-ऊपरीकोट मोटर मार्ग से स्यानाचट्टी यमुनोत्री तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य	11/2013	415.63	7.08	अनारम्भ कार्य
5.	यमुनोत्री में जसपुर बैंड से मांडियासारी-मसोन मोटर मार्ग का नव निर्माण	03/2013	37.80	1.52	अनारम्भ कार्य
6.	नालूपानी से ड़ांग मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	12/2004	121.20	5.39	अनारम्भ कार्य
			योग =	**27.04**	

उपरोक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि उक्त कार्यों में से क्रमांक 02 पर अंकित कार्य दोहरी स्वीकृति के कारण एवं अन्य निर्माण कार्य धन आवंटन न होने के कारण निरस्त किए गए हैं। धनराशि डीपीआर, सर्वे/मुआवजा के रूप में व्यय की गयी थी तथा वर्तमान में कार्य निरस्त किए गए हैं।

इकाई के उत्तर से स्पष्ट था कि उपरोक्त कार्यों पर व्यय धनराशि निष्फल रही थी। अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग II -'ब'</u>

प्रस्तर 03: ठेकेदारों के देयकों से काटी गयी रॉयल्टी की धनराशि के सापेक्ष ज़िला खनिज फाउंडेशन न्यास निधि की ` 9.86 लाख की कटौती न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन, औद्यौगिक विकास अनुभाग-1 के पत्रांक संख्या 1763/VII-1/2017/8-ख/16 दिनांक 17.11.2017 तथा अधिसूचना संख्या 1621/VII-1/2017/8-ख/16 दिनांक 17.11.2017 के माध्मय से उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली 2017 प्रख्यापित की गयी थी। उक्त नियमावली 12 जनवरी 2015 को प्रवृत्त हुयी समझी जाएगी । इन आदेशों के अनुक्रम में नियमावली में निर्देशित कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित करने के लिए जनपद उत्तरकाशी में जिला खनिज फाउंडेशन न्यास की शासी परिषद एवं प्रबंधन समिति का गठन नवम्बर 2017 में किया गया। न्यास के मुख्य उद्देश्य: (1) खनन संक्रियाओं या अन्य संबन्धित क्रियाकलापों एवं खनिज परिवहन से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्रों के हित तथा उनकी प्रसुविधा के लिए कार्य करना; (2) प्रभावित व्यक्ति एवं क्षेत्रों की प्रसुविधा के लिए ज़िला खनिज फाउंडेशन में संग्रहीत निधियों का उपयोग करना; और (3) ग्राम सड़क, जलीय स्थान एवं अन्य सामान्य सुविधाओं को विकसित करने हेतु संबन्धित ग्राम पंचायत के परामर्श पर निधि का उपयोग करना, है।
उक्त नियमावली के प्रस्तर 10 (न्यास निधि हेतु अंशदान) के अनुसार सरकारी निर्माण कार्य में उपयोग की जाने वाली मिट्टी पर भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी की धनराशि का 10 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से तथा सरकारी निर्माण कार्य में उपयोग की जाने वाली बालू, बजरी पर जिला खनिज फाउंडेशन न्यास पर सीधे जमा किए जाने पर रॉयल्टी की धनराशि का 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से जमा किया जाये।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा अक्टूबर 2019 से अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान ठेकेदारों के बिलों से निर्माण कार्यों में प्रयुक्त उपखनिजों के सापेक्ष ` 3945500/- की रॉयल्टी जमा की गयी परन्तु उक्त धनराशि पर न्यास निधि के अंशदान की अतिरिक्त 25% की कटौतियाँ कर न्यास निधि में जमा किए जाने की कार्यवाही नहीं की गयी थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि जानकारी के अभाव एवं शासनादेश प्राप्त न होने के कारण कटौती नहीं की गयी है। वर्तमान में कटौती

प्रारम्भ कर ली गयी है। न्यास निधि के अंशदान की धनराशि ` 986375/- की वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

इकाई के उत्तर से स्वतः ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है। अतः ठेकेदारों के देयकों से काटी गयी रॉयल्टी की धनराशि के सापेक्ष ज़िला खनिज फाउंडेशन न्यास निधि के अंशदान की धनराशि ` 9.86 लाख की कटौती न किए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग II -'ब'</u>

प्रस्तर 04: कार्य पूर्ण अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी निर्माण कार्यों हेतु भुगतानित अग्रिम धनराशि ` 21.27 लाख का समायोजन लंबित रहना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड VI के प्रस्तर 457 के अनुसार "An advance payment for work actually executed may be made on the certificate of a responsible officer to the effect that not less than the quantity of work paid for actually been done, and the officer granting such a certificate will be held personally responsible for any overpayment which may occur on the work in consequence. Final payments may, however, in no case be made without detailed measurements.

कार्यालय अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी के चयनित माह से संबन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा निम्नलिखित ठेकेदारों को "Advance payment on account of Work done but not measured" किया गया था: -

क्र. सं.	ठेकेदार का नाम	अनुबंध संख्या	अनुबंध की लागत	अनुबंध के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	वाउचर्स संख्या	धनराशि
1.	श्रीमति मनवरी देवी	70/EE दिनांक 13/09/19	13.39 लाख	12/01/20	181/27 मार्च 20	815267
2.	मै. पर्ल कंस्ट्रशन	11/एसई-06/2018-19 दिनांक 15/01/2019	157.59 लाख	14/06/2019	211/27 मार्च 2020	1311919
					कुल योग =	2127186.00

उपरोक्त कार्यों के अनुबंधों के अनुसार निर्धारित कार्य समाप्ति के तिथि के उपरांत भी ठेकेदार को बिना समय विस्तारण के "Work done but not measured" अग्रिम भुगतान किया गया था। लेखापरीक्षा तिथि तक भी उपरोक्त कार्यों का न तो मापन किया गया था और न ही भुगतान की गयी अग्रिम धनराशि का समायोजन किया गया था। उपरोक्त कार्यों के सम्बन्ध में ठेकेदार को समय विस्तारण (Time Extension) प्रदत्त किए जाने के संबन्धित अभिलेख भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया था।

उपरोक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि बिन्दु 1 पर अंकित कार्य; आवासीय परिसर में निवासित कार्मिकों के दिन के समय में आवास में उपलब्ध न रहने के कारण तथा कोरोना महामारी के प्रकोप आवासरतों द्वारा आवासों में प्रवेश न दिये जाने के कारण समय पर मापन नहीं हो सका। तथा आवास एक कंटेनमेंट जोन बन जाने के कारण समय पर मापन न होने के कारण धनराशि का समायोजन नहीं हो सका। बिन्दु 2 पर अंकित कार्य; नवम्बर से मार्च के बीच सर्दी का मौसम होने के कारण कार्य संभव नहीं हो पाया तथा कोरोना महामारी के कारण कार्य जुलाई 2020 में हो पाया। समय वृद्धि एवं विचलन उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया गया है जिसके अनुमोदन के उपरान्त अग्रिम का समायोजन किया जाएगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त दोनों प्रकरणों में कार्य समाप्ति की तिथि जून 2019/जनवरी 2020 थी जबकि कोरोना महामारी के प्रसारण हेतु लॉकडाउन भी मार्च 2020 से प्रारम्भ किया गया था तथा आतिथि तक भी समायोजन न किया जाना विभागीय शिथिलता को दर्शाता है।

अतः कार्य पूर्ण अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी निर्माण कार्यों हेतु भुगतानित अग्रिम धनराशि ` 21.27 लाख का समायोजन लंबित रहने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग -III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	**ले प प्र संख्या**	**भाग 2 अ**	**भाग 2 ब**
1	29/2001-02	-	3क
2	41/2002-03	-	2
3	04/2004-05	-	1,2
4	59/2005-06	1,2,3	2
5	54/2010-11	1	-
6	07/2012-13	1,2	1,3
7	58/2014-15	-	2,3,4,6
8	94/2015-16	1,2	1
9	15/2017-18	-	1,2,3,4,5,6,7
10	68/2018-19	-	1,2,3
11.	71/2019-20	-	1,2,3, STAN-1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
			खण्ड द्वारा बताया गया कि उक्त प्रस्तरों की अनुपालन आख्या उच्च अधिकारियों के अनुमोदन के उपरांत प्रेषित कर ली जाएगी। उक्त प्रस्तरों को यथावत रखे जाने की संस्तुति की जाती है।	

<u>**भाग-IV**</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी, जनपद -उत्तरकाशी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः - शून्य

2. सतत् अनियमितताएः

- शून्य -

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

	नाम	पदनाम	अवधि
i.	श्री वी. एस. पुण्डीर	अधिशासी अभियंता	03.09.2019 से 15.01.2020 तक
ii.	श्री सुरेश तोमर	अधिशासी अभियंता	16.01.2020 से 06.02.2020 तक
iii.	श्री प्रवीन कुश	अधिशासी अभियंता	07.02.2020 से वर्तमान तक

4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित खंडीय लेखाधिकारी खंड से सम्बद्ध रहे-

	नाम	पदनाम	अवधि
i.	श्री श्याम सिंह भण्डारी	वरिष्ठ प्रभागीय लेखाधिकारी	07.07.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी, जनपद - उत्तरकाशी** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी हैं कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ एएमजी-II को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

AMG-II/Non-PSU